

समक्ष उच्चतम न्यायालय, भारतआपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकारिता

आपराधिक अपील क्रमांक 1660 / 2010

हरि सिंह एवं एक अन्य

अपीलार्थी (गण)

विरुद्ध

मध्य प्रदेश शासन

प्रतिवादी (गण)

निर्णयदीपक गुप्ता, न्यायमूर्ति

पीड़ित श्याम द्वारा पुलिस थाना उज्जैन में कथित तौर पर एक प्रथम सूचना प्रतिवेदन (प्रदर्श पी० 17) इस आशय का दर्ज कराया गया कि वह मलेरिया विभाग में कार्य कर रहा था एवं दिनांक 17-10-1997 को वह अशोक टाकीज के पीछे अपनी झोपड़ी के पास खड़ा था । उस पर रूपा, हरि 'टेम्पोवाला' और नाथू के पुत्र ने वार किया। इन तीन लोगों ने उसे घेरा व उसे पीटना शुरू कर दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि उसने उनसे कुछ धन उधार लिया था जिसे उसने लौटाया नहीं, जिससे उसने इंकार किया। तब हरि 'टेम्पोवाला' और नाथू के पुत्र ने चाकू निकाली एवं उन दोनों ने उस पर चाकुओं से उसकी पीठ पर रीढ़ के पास बाईं ओर तथा पसलियों के नीचे वार किया। नाथू के पुत्र ने कमर व दो अन्य स्थानों पर चाकू मारी। इस बीच, रामचंद्र धोली (अ०. सा० 12) घटनास्थल पर पहुंचा । सूचनाकर्ता के अनुसार, घटना उसके पुत्र व पुत्री, कल्लू व कल्लो द्वारा देखी गई।

इस मौखिक सूचना के आधार पर, आरंभ में भा० द० वि० की धारा 341, 294, 323, 506, 307 सहपठित धारा 34 के अधीन एक प्रकरण दर्ज किया गया किंतु मूल प्रथम सूचना प्रतिवेदन में धारा 307 के संबंध में लिप्तलेखन (ओवर राइटिंग) प्रतीत होता है। सूचनाकर्ता को चिकित्सालय ले जाया गया जहां उसे भर्ती किया गया। बेड हेड टिकिट (प्रदर्श डी० 1) दर्शित करती है कि सूचनाकर्ता को दिनांक 18-10-1997 को रात्रि में लगभग 12:30 बजे चिकित्सालय में भर्ती किया गया था। बेड हेड टिकिट यह भी दर्शित करती है कि रात्रि में लगभग 1 बजे श्याम की स्थिति अच्छी नहीं थी और उसने संभवतः कुछ मदिरा का सेवन

किया था; उसकी पीठ पर छुरे के कई आघात थे; उसकी सामान्य स्थिति कमजोर थी; उसकी नाड़ी दर 60 प्रति मिनिट थी और उसका रक्तचाप मापे जाने योग्य नहीं था। उसकी स्थिति बिगड़ती रही और रात्रि 3:30 बजे यह अभिलिखित किया गया कि उसकी सामान्य स्थिति कमजोर थी एवं आधान हेतु रक्त की व्यवस्था की जाए और उसके तुरंत बाद उसकी मृत्यु हो गई।

उसकी मृत्यु के पश्चात्, प्रथम सूचना प्रतिवेदन को हत्या में परिवर्तित की गई तथा उसमें भा० द० वि० की धारा 302 को जोड़ा गया। अन्वेषण के दौरान, हत्या के हथियार कथित रूप से अभियुक्त से बरामद किए गए थे एवं तत्पश्चात् द० प्र० सं० की धारा 173 के अधीन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया था एवं अभियुक्तगण का विचारण किया गया था। अभियुक्तगण ने निर्दोशिता का अभिवाक् किया तथा विचारण चाहा। विचारण के दौरान, सभी महत्वपूर्ण साक्षीगण पक्षद्रोही हो गए। पुत्र को परीक्षित नहीं किया गया एवं अभिलेख में यह उपलब्ध नहीं है कि उसका परीक्षण नहीं किए जाने का क्या कारण है। जिस पुत्री का परीक्षण किया गया था वह लगभग 10 वर्ष की मात्र एक बाल साक्षिया थी, और उसने अभियोजन का बिल्कुल भी समर्थन नहीं किया था। द० प्र० सं० की धारा 161 के अधीन पुलिस द्वारा अभिलिखित किए गए उसके कथनों का प्रतिपरीक्षण किया गया था, किंतु हमारी दृष्टि में एक 10 वर्षीय बालिका यह नहीं समझ सकती कि ऐसे विरोधाभास का क्या प्रभाव होता है और उन्हें समझाने में समर्थ नहीं होगी।

यह हमें आहत चक्षुदर्शी साक्षी रामचंदर (अ० सा० 12) के कथनों के साथ ले साथ ले जाता है। जहां तक घटना का संबंध है, वह घटना से इंकार नहीं करता। वह कहता है कि घटना हुई थी। वह यह भी कहता है कि इस घटना में उस पर तलवार से वार किया गया था और तलवार ने उसके गालों से आंख तक चोटें कारित की। हालांकि, उसका यह कथन है कि घटना के तुरंत बाद उसे और भयाम को चिकित्सालय ले जाया गया। आगे, इस साक्षी के अनुसार अंधेरा था तथा वह उन लोगों को नहीं पहचान पाया जिन्होंने उस पर हमला किया। उसने इंकार किया है कि द० प्र० सं० की धारा 161 के अधीन कथन में उसने अभियुक्तों का नाम दिया है।

मूल रूप से दो मृत्युकालिन कथनों के आधार पर, विचारण न्यायालय द्वारा अभियुक्तगणों को दोषसिद्ध ठहराया गया, दोषसिद्धि को उच्च न्यायालय ने बनाए रखा। प्रथम मृत्युकालिक कथन प्रथम सूचना प्रतिवेदन की प्रकृति का था तथा दूसरा मृत्युकालिक कथन अण्वेषण अधिकारी (अ० सा० 14) द्वारा मृतक श्याम का द० प्र० सं० की धारा 161 के अधीन लिया गया कथन था।

पहले हम, दूसरे मृत्युकालिक कथन पर चर्चा करेंगे और देखेंगे कि उस पर क्या विश्वास किया जा सकता है। यह तथाकथित मृत्युकालिक कथन प्रदर्श पी० 20 है एवं यह वह कथन है जो कि अ० सा० 14 द्वारा द० प्र० सं० की धारा 161 के अधीन अभिलिखित किया गया है। इसे 18-10-1997 का अभिलिखित किया जाना बताया गया है किन्तु कथन में कहीं भी उसके अभिलिखित किए जाने का समय उल्लिखित नहीं है। यह कथन यह व्याख्या देता है कि मृतक ने कथित तौर पर कैसे अण्वेषण अधिकारी को यह बताया कि तीन लोगों द्वारा उस पर वार किया गया तथा वह उन लोगों द्वारा घायल किया गया। प्रश्न यह है कि क्या इस संबंध में निर्भरता रखी जा सकती है। जैसा कि ऊपर बताया गया है कि बेड हेड टिकिट (प्रदर्श डी० 1) ने दर्शित किया कि रात्रि 1 बजे श्याम की स्थिति बहुत खराब थी एवं उसका रक्तचाप मापे जाने योग्य नहीं था। दुर्भाग्य से, बेड हेड टिकिट पर यह उल्लेख नहीं है कि मरीज होश में था या बेहोश।

अब हम अ० सा० 14 के कथन की चर्चा करेंगे। अ० सा० 14 के कथन का सुसंगत भाग यह है कि वह घायल श्याम से 18-10-1997 को रात्रि 1:15 से 1:25 बजे के बीच पहली बार चिकित्सालय में मिला। वह यह भी बताता है कि श्याम की स्थिति अत्यंत गंभीर थी। उसने मृतक के कथन अभिलिखित किए जाने के बारे में चिकित्सक से उसकी स्थिति के बारे में पुछा था। चिकित्सक ने कहा कि श्याम कथन देने की स्थिति में नहीं है। फिर उसने कहा कि यह रात्रि 2:30 बजे हुआ। फिर वह कहता है कि उसने चिकित्सक को शायद मृतक की स्थिति के बारे में एक लिखित आवेदन किया था। हालांकि, ऐसा आवेदन अभिलेख में नहीं रखा गया है। अतः यह स्पष्ट नहीं है कि किस समय यह आवेदन चिकित्सक के पास प्रशित किया गया था, रात्रि 1:15 बजे के तुरंत बाद यह कि रात्रि 2:30 बजे के बाद। यह साक्षी यह भी कहता है कि उसने उप निरीक्षक भार्मा को मृतक का मृत्युकालीन कथन अभिलेख करने हेतु तैनात किया था। यह कहने के बाद, वह कहता है कि रात्रि 1:15

बजे उसे स्वयं यह लगा कि मृतक कथन करने की स्थिति में था और इसलिए द० प्र० सं० की धारा 161 के अधीन उसका कथन अभिलिखित किया।

जहां तक द० प्र० सं० की धारा 161 के अधीन कथन, जिसे मृत्युकालिक कथन के रूप में मानने की प्रार्थना की गई है, का अभिलेखन है, इस साक्षी का कथन आत्मविश्वास को प्रेरित नहीं करता। वह पहले कहता है कि जब वह चिकित्सालय पहुंचा तब आहत की स्थिति गंभीर थी और जब उसने चिकित्सक से पूछा, तब चिकित्सक ने उत्तर दिया कि आहत कथन करने की स्थिति में नहीं था। अपने कथन के उत्तरार्ध में, वह कहता है कि उसने रात्रि 1:15 बजे कथन अभिलिखित किया। इसका अर्थ यह है कि उसने चिकित्सालय पहुंचने पर तुरंत श्याम का कथन अभिलिखित किया था। यदि यह सही है तो उसने चिकित्सक से यह पूछे बिना ही कि क्या आहत कथन करने की उपयुक्त स्थिति में था, कथन अभिलिखित किया है।

निःसंदेह द० प्र० सं० की धारा 161 अधीन अभिलिखित कथन में साक्षी के हस्ताक्षर नहीं किया जाना चाहिए। वास्तव में, यह ऐसे कथन को द० प्र० सं० की धारा 161 के अधीन अग्राह्य बनाएगा। हालांकि, इस तरह के मामले में, जहाँ आहत की स्थिति गंभीर थी और उसका रक्तचाप मापे जाने योग्य नहीं था, चिकित्सक का यह मत प्राप्त किए बगैर कि मरीज कथन देने की उपयुक्त स्थिति में था, उसका कथन अभिलिखित नहीं किया जाना चाहिए। वह रीति जिससे कथन अभिलिखित किया गया है कथन की ग्राह्यता व साक्ष्यिक मूल्य के संबंध में गंभीर संदेह उत्पन्न करती है। हम यह स्पष्ट करते हैं कि हम किसी भी रूप में यह इंगित नहीं कर रहे हैं कि ऐसे कथन मृत्युकालिक कथन के रूप में नहीं पढ़े जा सकते। हालांकि, हम इस मत के हैं कि यह तथाकथित मृत्युकालिक कथन, उस सत्यापन योग्य मृत्युकालिक कथन के परीक्षण को पूर्ण नहीं करता जिस पर अभियुक्त को दोषसिद्ध करने के लिए विश्वास किया जा सके।

प्रथम मृत्युकालिक कथन तथाकथित प्रथम सूचना प्रतिवेदन है, जो प्रथम सूचना प्रतिवेदन (प्रदर्श पी० 17) के लेखक द्वारा साबित भी है, जो कहता है कि उसने कथन को अक्षर 1: वैसा ही अभिलिखित किया है, जैसा कि उसे आहत श्याम ने कहा था। अनुलग्नक पी-17 के 'बी' से 'बी' अंकित भाग में कुछ हस्ताक्षर हैं। प्रतिपरीक्षण में इस साक्षी

को यह सुझाव दिया गया था कि ये मृतक के हस्ताक्षर नहीं हैं। उसने, यह स्पष्ट रूप से, इस सुझाव से इंकार किया है। मामले का तथ्य यह है कि मृतक एक शासकीय कर्मचारी था। भासकीय अभिलेखों में उसके हस्ताक्षर होंगे। अभियोजन ने यह साबित करने के लिए कि दोनों एक ही व्यक्ति हैं, प्रथम सूचना प्रतिवेदन के हस्ताक्षरों का भासकीय अभिलेखों में हस्ताक्षरों से मिलान करने का कोई प्रयास नहीं किया। अभियोजन की ओर से यह कुल चूक है।

वह रीति जिसमें प्रथम सूचना प्रतिवेदन दर्ज किया गया है, उसकी सच्चाई के संबंध में संदेह उत्पन्न करती है। प्रथम सूचना प्रतिवेदन के अनुसार, घटना 17-10-1997 की रात्रि लगभग 10 बजे दर्ज हुई थी। प्रथम सूचना प्रतिवेदन रात्रि लगभग 11:35 बजे दर्ज की गई थी। अभिलेख में अ० सा० 13 एवं अण्वेषण अधिकारी द्वारा साबित तथ्यों से, घटना स्थल से पुलिस थाने की दूरी एक किलोमीटर है एवं पुलिस थाना पहुंचने में 10-15 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा। इस बात का स्पष्टीकरण नहीं है कि तुरंत बाद रात्रि 10:30 बजे अथवा 10:45 बजे ही प्रथम सूचना प्रतिवेदन को क्यों अभिलिखित नहीं किया गया और आहत को पुलिस थाना पहुंचने में एक घंटे से अधिक का समय क्यों लगा। हम यह स्पष्ट करते हैं कि हम यह संकेत नहीं कर रहे हैं कि विलंब इस मामले के लिए घातक है, किन्तु इस प्रकरण के विशेष तथ्यों में विलंब महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि यहाँ सूचनाकर्ता एक आहत है जिसे चार छिदे हुए एक फटा हुआ घाव हुआ है। घटनाओं का प्राकृतिक क्रम यह होता कि ऐसे गंभीर रूप से आहत व्यक्ति को सीधे ही चिकित्सालय ले जाया जाता है अथवा निकटतम औषधालय या चिकित्सालय से चिकित्सा करवाई जाती। भले ही उसे पहले पुलिस थाने जाना था, तो भी इसमें इतना अधिक समय नहीं लगना था।

मामले का दूसरा पहलू यह है कि आरापीगण के दिए गए विवरण है (1) रूपा, (2) हरि 'टेम्पोवाला' एव (3) नाथू का पुत्र। हम यह मानने के लिए विवश हैं कि विचारण न्यायालय और यहां तक कि उच्च न्यायालय, दोनों ही ने गंभीर रूप से यह अवधारित करने में चूक की है कि यह साबित करने का भार बचाव पक्ष का था कि इलाके में इस नाम के अन्य व्यक्ति नहीं थे। यह आपराधिक न्यायशास्त्र के स्थापित सिद्धांत से पूर्णतः विपरीत है। यह अभियोजन को चाहिए था कि वह सिद्ध करे कि रूपा कौन है; हरि 'टेम्पोवाला' कौन है और नाथू का पुत्र कौन है। इस संबंध में कोई साक्ष्य नहीं दी गई है सिवाय द्वितीय तथाकथित

मृत्युकालिक कथन के जिसमें इन तीनों व्यक्तियों का विवरण दिया गया है। यह वास्तव में चौंकाने वाला है कि जब आहत इतनी गंभीर स्थिति में नहीं था और वह चिकित्सालय जा सकता था तब उसने व्यक्तियों का विवरण नहीं दिया बल्कि जब वह उस स्थिति में था जिसे गंभीर कहा गया था तथा उसका रक्तचाप मापे जाने योग्य नहीं था तब वह उन व्यक्तियों का विवरण व नाम देता है। यह अण्वेषण की निष्पक्षता पर भी संदेह उत्पन्न करता है।

मामले के इस दृष्टिकोण में हम इस मत के हैं कि इस बात में युक्तियुक्त संदेह है कि व्यक्तियों एवं अभियुक्तगण की पहचान को अपराध के साथ स्पष्ट रूप से नहीं जोड़ा गया है एवं उन्हें संदेह का लाभ दिया जाना है। हम यह भी लिख सकते हैं कि अन्य साक्षी, जो कि पक्षद्रोही हो गया था, एक आहत साक्षी है। समान हमलावरों द्वारा किए गए किसी व्यक्ति को क्यों पक्षद्रोही होना चाहिए जब तक कि यह दर्शित करने के लिए कुछ साक्ष्य ना दी गई हो कि उस पर दबाव बनाया गया था। इस निष्कर्ष पर पहुंचने हेतु मात्र यह सुझाव पर्याप्त नहीं है कि उस पर दबाव डाला गया था। जहां तक पुत्र को परीक्षण नहीं किए जाने का संबंध में कुछ नहीं कह रहे हैं क्योंकि अभिलेख से हम यह नहीं बता सकते कि पुत्र की आयु क्या थी। अपीलार्थीगण जमानत पर हैं। उनके जमानत बंधपत्र उन्मोचित किए जाते हैं।

उपरोक्त चर्चा की दृष्टि में, हम अपील को स्वीकार करते हैं, विचारण न्यायालय व उच्च न्यायालय के निर्णयों को अपास्त करते हैं तथा अभियुक्तगण को दोषमुक्त करते हैं।

न्यायमूर्ति
(दीपक गुप्ता)

न्यायमूर्ति
(अनिरुद्ध बोस)

नई दिल्ली
05 सितंबर, 2019

अस्वीकरण:— स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक एवं कार्यालयीन प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा एवं निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ क्षेत्र धारित करेगा।